



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.

<http://rajpatrahimachal.nic.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 29 दिसम्बर, 2025 / 08 पौष, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 12th December, 2025

No. HHC/Admn.16(20)75-IV.— Hon'ble the Chief Justice has been pleased to cancel the appointment of Ms. Chetna Advocate (HIM/298/2021) as Oath Commissioner, at Sub Division

211—राजपत्र / 2025—29—12—2025

(9457)

Jhandutta, District Bilaspur H.P., appointed *vide* this Registry Notification No. HHC/ Admn. 16(20)75-III-26169-76, dated 30-08-2024 with immediate effect.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 12th December, 2025

No. HHC/Admn. 6(23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Civil Judge-cum-JMFC, Chopal as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Senior Civil Judge-cum-ACJM, Theog and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. *etc.* in respect of Class II to IV establishment attached to the aforesaid Court under Major head “2014 Administration of Justice” during the earned leave period of Ms. Kanika Gupta, Senior Civil Judge-cum-ACJM, Theog *w.e.f.* 22-12-2025 to 27-12-2025 with permission to prefix and suffix Sundays falling on 21-12-2025 and 28-12-2025, respectively or till she returns from leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 8th December, 2025

No. HHC/GAZ/14-409/2020.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 01 day earned leave for 23-06-2025 and 06 days' commuted leave *w.e.f.* 24-06-2025 to 29-06-2025 in favour of Ms. Sharuti Bansal, Civil Judge-cum-JMFC-VI, Shimla, H.P.

Certified that Ms. Sharuti Bansal had joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Sharuti Bansal would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMFC-VI, Shimla, but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001**NOTIFICATION***Dated, the 9th December, 2025*

No. HHC/Estt.3(649)/2009.—3 days commuted leave on and with effect from 27-11-2025 to 29-11-2025 with permission to suffix Sunday fell on 30-11-2025, is hereby sanctioned, *ex-post facto*, in favour of Shri Pritam Singh Thakur, Court Secretary of this Registry.

Certified that Sh. Pritam Singh Thakur, has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Sh. Pritam Singh Thakur, would have continued to officiate the same post of Court Secretary but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001**NOTIFICATION***Dated, the 9th December, 2025*

No. HHC/Estt. 3(700)/2009.—03 days commuted leave *w.e.f.* 25-11-2025 to 27-11-2025, is hereby sanctioned, *ex-post-facto*, in favour of Shri Yugal Kishore, Court Master of this Registry.

Certified that Shri Yugal Kishore has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Yugal Kishore would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001**NOTIFICATION***Dated, the 8th December, 2025*

No. HHC/Estt.3 (510)/2000-I.—02 days commuted leave for 01-12-2025 & 02-12-2025, is hereby sanctioned, *ex-post-facto*, in favour of Shri Tarun Mahajan, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Tarun Mahajan has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Tarun Mahajan would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/-

Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 9th December, 2025

No. HHC/GAZ/14-300/08.I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post-facto* sanction of 01 day earned leave for 16-09-2025 and 32 days commuted leave *w.e.f.* 17-09-2025 to 18-10-2025 in favour of Dr. Mohit Bansal, Additional District and Sessions Judge, Ghumarwin.

Certified that Dr. Mohit Bansal had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Dr. Mohit Bansal would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge, Ghumarwin, but for his proceeding on leave for the above period

By order,

Sd/-

Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 10th December, 2025

No. HHC/ Estt. 3(532)/2002-I.—The following kinds of leave are hereby sanctioned, *ex-post-facto*, in favour of Shri Subhash Kumar Baudh, Deputy Registrar of this Registry:

1. 05 days earned leave *w.e.f.* 28-10-2025 to 01-11-2025
2. 13 days earned leave *w.e.f.* 17-11-2025 to 29-11-2025. with permission to suffix Sunday fell on 30-11-2025.
3. 01 day's earned leave for 08-12-2025.

Certified that Shri Subhash Kumar Baudh has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Subhash Kumar Baudh would have continued to officiate the same post of Deputy Registrar but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/-

Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 5th December, 2025

No. HHC/Estt.3(506)/2000-I.—09 days earned leave on and *w.e.f.* 04-12-2025 to 12-12-2025, with permission to suffix second Saturday and Sunday falling on 13-12-2025 & 14-12-2025, is hereby sanctioned in favour of Shri Subhash Chauhan, Additional Registrar of this Registry.

Certified that Shri Subhash Chauhan is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above leave period.

Certified that Shri Subhash Chauhan would have continued to officiate the post of Additional Registrar but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/-

Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 6th December, 2025

No. HHC/Estt.3(604)/2007-I.—02 days earned leave for 08-12-2025 & 09-12-2025, with permission to prefix Sunday falling on 07-12-2025, is hereby sanctioned in favour of Shri Virender Bahadur, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Virender Bahadur is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after expiry of the above leave period.

Certified that Shri Virender Bahadur would have continued to officiate the post of Secretary but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 5th December, 2025

No. HHC/GAZ/14-401/2020.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post-facto* sanction of 08 days' earned leave *w.e.f.* 01-03-2025 to 08-03-2025, 180 days' maternity leave *w.e.f.* 05-09-2025 to 03-11-2025 in favour of Ms. Chunauti Sangroli, Civil Judge-*cum*-JMFC, Kandaghat.

Certified that Ms. Chunauti Sangroli had joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Chunauti Sangroli would have continued to hold the post of Civil Judge-*cum*-JMFC, Kandaghat, but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 5th December, 2025

No. HHC/Admn.16 (34)89-IV.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, Section 333(1)(b) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007, has been pleased to appoint Ms. Ranjana Kumari (HIM/331/2021) and Ms. Ritu Kumari (HIM/549/2024), Advocates as Oath Commissioners at Sub-Divisional Headquarter, Tissa, H.P. for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order,

Sd/-
Hon'ble the Chief Justice,
Registrar (Administration).

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001**NOTIFICATION***Dated, the 8th December, 2025*

No. HHC/GAZ/14-410/2020.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 05 days' earned leave *w.e.f.* 08-12-2025 to 12-12-2025 with permission to prefix Sunday falling on 07-12-2025 in favour of Ms. Priyanka Devi, Civil Judge-*cum*-JMFC, Anni, District Kullu, H.P.

Certified that Ms. Priyanka Devi is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Priyanka Devi would have continued to hold the post of Civil Judge-*cum*-JMFC, Anni, District Kullu, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-

Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001**NOTIFICATION***Dated, the 6th December, 2025*

No. HHC/Admn.3(399)/95-I.—11 days earned leave on and *w.e.f.* 08-12-2025 to 18-12-2025, with permission to prefix Sunday falling on 07-12-2025, is hereby sanctioned in favour of Sh. Beer Singh Sharma, Deputy Registrar of this Registry.

Certified that Sh. Beer Singh Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Beer Singh Sharma would have continued to officiate the post of Deputy Registrar, but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/-

Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001**NOTIFICATION***Dated, the 2nd December, 2025*

No. HHC/Admn. 16(22)75-VI.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, Section 333(1) (b) of the Bharatiya

Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007, has been pleased to appoint Ms. Meenakshi Lamba (HIM/195/2016), Advocate, as Oath Commissioners at **Ponta Sahib**, District Sirmaur, H.P., for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order,

Sd/-

*Hon'ble the Chief Justice,
Registrar (Administration).*

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 2nd December, 2025

No. HHC/Admn.16(22)75-VI.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, Section 333(1) (b) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007, has been pleased to appoint Sh. Vikram Singh Chauhan (HIM/110/2016), Advocate, as Oath Commissioners at **Rajgarh**, District Sirmaur, H.P. for a period of two years **w.e.f. 01-12-2025**, for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order,

Sd/-

*Hon'ble the Chief Justice,
Registrar (Administration).*

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 2nd December, 2025

No. HHC/GAZ/14-231/97-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 07 days' earned leave *w.e.f.* 04-12-2025 to 10-12-2025 in favour of Sh. Ajay Mehta, District and Sessions Judge (Forests), Shimla.

Certified that Sh. Ajay Mehta is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Ajay Mehta, would have continued to hold the post of District and Sessions Judge (Forests), Shimla but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 2nd December, 2025

No. HHC/GAZ/14-252/2002-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 03 days' earned leave *w.e.f.* 04-12-2025 to 06-12-2025 with permission to suffix Sunday falling on 07-12-2025 in favour of Sh. Vivek Sharma, Principal Judge, Family Court, Shimla.

Certified that Sh. Vivek Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Vivek Sharma would have continued to hold the post of Principal Judge, Family Court, Shimla but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 3rd December, 2025

No. HHC/Estt.3(511)/2000-I.—07 days earned leave on and *w.e.f.* 10-12-2025 to 16-12-2025, is hereby sanctioned in favour of Shri Ganga Ram Sharma, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Ganga Ram Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above leave period.

Certified that Shri Ganga Ram Sharma would have continued to officiate the post of Secretary but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001**NOTIFICATION**

Dated, the 3rd December, 2025

No. HHC/Estt.3(516)/2001-I.—02 days earned leave for 05-12-2025 and 06-12-2025, with permission to suffix Sunday falling on 07-12-2025, is hereby sanctioned in favour of Shri Tilak Raj Sharma, Court Master of this Registry.

Certified that Shri Tilak Raj Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above leave period.

Certified that Shri Tilak Raj Sharma would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/-

Registrar General.

HOME DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Shimla-2, 18th December, 2025

No. HOME-A-A01/1/2024.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order to merge the Anti-Narcotics Task Force (ANTF) constituted by the State Taxes & Excise Department *vide* Notification No. EXN-F(10)-4/2021 dated 26-09-2022 with the Special Task Force (STF) constituted under Home Department *vide* Notification No. HOME-A-A01/1/2024, dated 15-03-2025 into a Unified Special Task Force under the administrative control of the Home Department.

The Unified Special Task Force shall function under the overall supervision of the Additional Director General of Police (CID), Himachal Pradesh and shall also function as the State Narco Coordination Centre (NCORD) Secretariat.

The existing post of Deputy Inspector General of Police (Narcotics) shall be stand re-designated as Deputy Inspector General of Police (STF).

It is further notified the existing State Narcotics Drugs & Psychotropic Substances Crime Control Unit (SNCC) at Shimla, Kullu, and Kangra created *vide* notification No. Home(A)A(1)-1/2016, Dated 15-10-2016 and thereafter merged with Anti Narcotics Task Force by State Taxes & Excise Department *vide* Notification No. EXN-F(10)-4/2021, dated 26-09-2022 will now function as Range-Level STF Police Stations with jurisdiction co-terminus with the respective Police Ranges *i.e.* Northern (Kangra at Dharamshala), Central (at Mandi), and Southern (at Shimla) until the existing 13 STF Police Stations, created *vide* notification of even number dated 25-04-2025 become fully operational.

By order,

KAMLESH KUMAR PANT,
Addl. Chief Secretary (Home).

LABOUR EMPLOYMENT & OVERSEAS PLACEMENT DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Shimla-2, the 20th December, 2025

No. LEP-A001/2/2023.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to provide 40% subsidy for the conversion of 1000 taxis running on Diesel/Petrol into e-vehicles, in accordance with the provisions contained under the “Rajiv Gandhi Swarozgaar Start-Up Yojna (RGSSY)-2023” as notified *vide* this department’s Notification No. LEP-B002/3/2023 dated 1st January, 2024. The Subsidy will be 40% per e-taxi.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order that the Transport Department will finalize the process as under:—

- (i) Notifying the role and responsibilities of Regional Transport Authorities in the State.
- (ii) Notifying the Terms and Conditions for conversion existing taxi running on diesel/petrol vehicle to e-vehicles(e-taxi).
- (iii) Notifying the criteria for subsidy to be paid for conversion of such taxis (diesel/petrol) into e-vehicles(e-taxi), subsequently inviting the applications.
- (iv) Approving and recommending the applications/ request to Labour Employment & Overseas Placement Department for disbursement of subsidy.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order that, consequent upon receipt of a list of approved candidates, the Labour, Employment & Overseas Placement Department shall release the subsidy **from the Nodal Bank to the Financing Bank**, enabling the applicant to purchase the e-vehicles(e-taxi) as approved by the Transport Department.

By order,

Sd/-
(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (Lab. Emp. &O.P.).

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 20 दिसम्बर, 2025

संख्या: पीसीएच-एचए (1)3/2024-IV-60587-87.—क्योंकि विभाग में जिला ऊना के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1)व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला ऊना के निम्न अनुसूची में वर्णित वर्तमान ग्राम सभा का विभाजन/पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ई-राजपत्र में प्रकाशित करने और जिला ऊना, के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो, वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से सात (7) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला ऊना, को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला ऊना, के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नई ग्राम सभाओं के गठन/स्थापना बारे अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त जिला ऊना, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

अनुसूची

क्र० सं०	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा का नाम तथा उस के मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1 विकास खण्ड हरोली						
1.	पंडोगा	1. पंडोगा खास 2. पंडोगा क्यारियां 3. पंडोगा उपरला 4. पंडोगा निचला	1. पंडोगा निचला	1. पंडोगा निचला	1. पंडोगा खास 2. पंडोगा क्यारियां 3. पंडोगा उपरला	—

आदेश द्वारा
सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 20 दिसम्बर, 2025

संख्या:पीसीएच-एचए (1)3/2024-IV-60584-87.—क्योंकि विभाग में जिला सोलन के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1)व (2)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला सोलन के निम्न अनुसूची में वर्णित वर्तमान ग्राम सभा का विभाजन/पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का

गठन/स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ई-राजपत्र में प्रकाशित करने और जिला सोलन, के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो, वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से सात (7)दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला सोलन,को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला सोलन, के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नई ग्राम सभाओं के गठन/स्थापना बारे अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त जिला सोलन, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

अनुसूची

क्र० सं०	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1. विकास खण्ड धर्मपुर						
1.	टकसाल	1. उप मोहाल आनणु 2. उप मोहाल दुबला 3. उप मोहाल नरचाल 4. मोहाल अम्बोटा 5. टकसाल 6. डंगयार 7. मोहाल गुम्मा 8. उप मोहाल टिपरा 9. उप मोहाल परमाणु सेक्टर-6 (गुम्मा) 10. कामली गांव 11. उप मोहाल परमाणु सेक्टर-3 (गुम्मा)	अम्बोटा कामली	1. उप मोहाल आनणु 2. उप मोहाल दुबला 3. उप मोहाल नरचाल 4. मोहाल अम्बोटा 1. मोहाल गुम्मा 2. उप मोहाल टिपरा 3. उप मोहाल परमाणु सेक्टर-6 (गुम्मा) 4. कामली गांव 5. उप मोहाल परमाणु सेक्टर-3 (गुम्मा)	1. टकसाल 2. डंगयार	—
3.	खेड़ा	1. खेड़ा 2. नानोवाल 3. चक 4. खेड़ा उपरला 5. खोखरा 6. बेली देयोड 7. ब्राह्मण बेली	खेड़ा उपरला	1. चक 2. खेड़ा उपरला 3. खोखरा 4. बेली देयोड	1. खेड़ा 2. नानोवाल 3. ब्राह्मण बेली	

4.	दभोटा	1. दभोटा 2. रत्योड़ 3. भांगला 4. माजरी	रत्योड़	1. रत्योड़	1. दभोटा 2. भांगला 3. माजरी	अन्य प्रस्तावित ग्राम सभा भांगला में 1500 से कम जनसंख्या होने के कारण नहीं विचार गया।
5.	रडयाली	1. रडयाली 2. दतोवाल 3. साभोवाल 4. सौड़ी 5. भूमिया 6. चुहूवाल 7. घनसोट 8. सेरी	चुहूवाल	1. सौड़ी 2. भूमिया 3. चुहूवाल 4. घनसोट 5. सेरी	1. रडयाली 2. दतोवाल 3. साभोवाल	

आदेश द्वारा
सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-9, 20 दिसम्बर, 2025

संख्या: पीसीएच-एचए (1) 18/2008-लूज-11-60614-60771.—क्योंकि, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2025 को 15-02-2025 से, अर्थात् राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में उनके प्रकाशन की तिथि से, लागू किया गया था, तथा उपर्युक्त नियमों के नियम-2 (जो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 9(2) में संशोधन से संबंधित है) को दिनांक 01-05-2025 से प्रभावी किया गया था।

और क्योंकि, माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 05-12-2025 सिविल रिट याचिका संख्या 13810/2025 देवेन्द्र सिंह नेगी बनाम राज्य हिमाचल प्रदेश एवं अन्य में, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 9(2) में संशोधन से संबंधित 01-05-2025 की अधिसूचना तथा उसके परिणामस्वरूप जारी दिनांक 17-05-2025 जिला परिषद शिमला की प्रारूप परिसीमन अधिसूचना), जो उपायुक्त शिमला द्वारा जारी की गई थी, एवं दिनांक 31-05-2025 (जिला परिषद शिमला की अंतिम परिसीमन अधिसूचना) को निरस्त एवं रद्द कर दिया है।

और क्योंकि, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 9(2) में संशोधन से संबंधित दिनांक 01-05-2025 की अधिसूचना के निरस्तीकरण एवं रद्द किए जाने के परिणामस्वरूप, दिनांक 19-11-2025 को अधिसूचित तथा 20-11-2025 से, अर्थात् राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में उनके प्रकाशन की तिथि से, प्रवर्तित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) तृतीय संशोधन नियम, 2025 अप्रासंगिक हो गए हैं।

अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 9(2) में संशोधन से संबंधित दिनांक 01-05-2025 की अधिसूचना जो राजपत्र (ई-गजट) में दिनांक 15-02-2025 को प्रकाशित हुई थी तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) तृतीय संशोधन नियम, 2025 को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का आदेश देते हैं।

हस्ता0/—

सचिव (पंचायती राज)।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEST

Panchayati Raj Department

NOTIFICATION

Shimla-9, 20th December, 2025

No. PCH-HA (1) 18/2008—Loose-II-60614-60771,--- Whereas, the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Amendment Rules, 2025 were enforced from 15-2-2025, *i.e.* the date of their publication in Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh except Rule 2 of the said rules (relating to amendment in rule 9(2) of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) rules, 1994) and Rule 2 of the said Rules was given with effect from 1-5-2025, *vide* Notification of even number.

And whereas, Hon'ble High Court of Himachal Pradesh in its judgment dated 5-12-2025, in CWP No.13810 of 2025 titled Devender Singh Negi *versus* State of Himachal Pradesh and Ors. has quashed and set aside the notification of dated 1-5-2025, *qua* amendment of Rule 9 (2) of the HP Panchayati Raj (Election) Rules, 1994 and consequential notifications dated 17-5-2025, (Draft delimitation Notification of Zila Parishad Shimla) issued by Deputy Commissioner Shimla and dated 31-5-2025, (Final delimitation Notification of Zila Parishad Shimla).

And whereas, consequent upon the quashing and setting aside of the Notification dated 1-5-2025, *qua* amendment of Rule 9 (2) of the HP Panchayati Raj (Election) Rules, 1994, the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Third Amendment Rules, 2025 notified on 19-11-2025 enforced from 20-11-2025, *i.e.* the date of their publication in Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh has become redundant.

Now, therefore, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to order the withdrawal of the Notification dated 1-5-2025 *qua* amendment of Rule 9 (2) of the HP Panchayati Raj (Election) Rules, 1994 in Rajpatra(e-Gazette) on 15-02-2025, and the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Third Amendment Rules, 2025 with immediate effect.

Sd/-

Secretary (Panchayati Raj).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री नीरज कुमार सुपुत्र श्री पृथी चंद, निवासी गांव लोअर द्रमण, डाकघर घटासानी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश। प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी श्री नीरज कुमार सुपुत्र श्री पृथी चंद, निवासी गांव लोअर द्रमण, डाकघर घटासानी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम नीरज कुमार है जोकि ग्राम पंचायत चलामा के नकल परिवार रजिस्टर, स्कूल प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल चलामा, पटवार वृत्त घटासानी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में गलती से नीरज दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 13-01-2026 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 12-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती रीता पत्नी श्री विकास गुलाटी, सुपुत्री श्री सुखदेव, निवासी गांव व डाकघर बनीखेत, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश। प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया श्रीमती रीता पत्नी श्री विकास गुलाटी, सुपुत्री श्री सुखदेव, निवासी गांव व डाकघर बनीखेत, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम रीता है, जोकि पैन कार्ड, आधार कार्ड व स्कूल प्रमाण-पत्रों आदि में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल छम्बर व टिक्करी, पटवार वृत्त तुनुहट्टी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में क्रमशः गलती से श्रीमती रीता व रीतू दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 13-01-2026 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 12-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील लगडू,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

केस नं० : 16/2025

तारीख पेशी : 16-01-2026

श्रीमती रश्मि राज पुत्री अर्जुन कुमार, गांव भलाड कलां, डाकघर थिल, तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) वादिया।

बनाम

आम जनता, गांव भलाड कलां, डाकघर थिल, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0), प्रधान/सचिव, ग्राम पंचायत थिल प्रतिवादी।

विषय.—हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण बारे।

वादिया श्रीमती रश्मि राज पुत्री अर्जुन कुमार, गांव भलाड कलां, डाकघर थिल, तहसील लगडू ने इस अदालत में आवेदन प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसका जन्म दिनांक 27-07-1972 को हुआ है परन्तु इसका पंजीकरण ग्राम पंचायत थिल में नहीं करवाया है। इसलिए उसके जन्म पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत थिल को जारी किए जाएं।

अतः इस कोर्ट नोटिस/मुनादी के माध्यम से आम जनता व सभी प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि किसी को भी इस जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह इस मामले की तयशुदा तारीख पेशी 16-01-2026 को समय 11.00 बजे सुबह इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर प्रस्तुत करे। गैरहाजिरी की सूरत में नियमानुसार कारवाई अमल में लाई जावेगी तथा इस जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 15-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ता0/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 814438/2025

तारीख पेशी : 12-01-2026

श्री करतार सिंह पुत्र श्री वरफी, निवासी महल जसेहड, डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—नाम दुरुस्ती।

श्री करतार सिंह पुत्र श्री वरफी, निवासी महल जसेहड, डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त टिप के राजस्व महाल जसेहड व अघार, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम करतार चंद दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर व स्कूल प्रमाण-पत्र में उसका नाम करतार सिंह दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त पटवार वृत्त टिप के राजस्व महाल जसेहड व अघार, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में उसका नाम करतार सिंह उपनाम करतार चन्द दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इशतहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 12-01-2026 को असातन या वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी श्री करतार सिंह पुत्र श्री वरफी, निवासी महल जसेहड, डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त टिप के राजस्व महाल जसेहड व अघार, तहसील खुण्डियां के राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 10-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 814439/2025

तारीख पेशी : 12-01-2025

श्रीमती ऊषा कुमारी पत्नी बलदेव सिंह, निवासी गांव व डाकघर खुण्डियां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—नाम दुरुस्ती।

श्रीमती ऊषा कुमारी पत्नी बलदेव सिंह, निवासी गांव व डाकघर खुण्डियां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त खुण्डियां के राजस्व महाल खुण्डियां, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम श्रीमती ऊषा देवी दर्ज हो गया है जबकि परिवार नकल व दसवीं कक्षा के प्रमाण-पत्र में उसका नाम ऊषा कुमारी दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थिया को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थिया का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित वृत्त महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम ऊषा कुमारी उपनाम ऊषा देवी दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुश्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 12-01-2026 को असातन या वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया ऊषा कुमारी पत्नी बलदेव सिंह, निवासी गांव व डाकघर खुण्डियां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त खुण्डियां के राजस्व महाल खुण्डियां के राजस्व अभिलेख में ऊषा कुमारी उपनाम ऊषा देवी करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 70968 / 2025

तारीख पेशी : 20-01-2026

श्रीमती विन्ता देवी पुत्री कांशी राम, निवासी गांव पिहडी, डाकघर गलोटी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थिया श्रीमती विन्ता देवी पुत्री कांशी राम, निवासी गांव पिहडी, डाकघर गलोटी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 14-02-1972 को हुआ है परन्तु गलती से ग्राम पंचायत पिहडी के अभिलेख में उसकी जन्म तिथि दर्ज नहीं हुई है जिसे ग्राम पंचायत पिहडी के अभिलेख में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-01-2026 को असातन व वकालतन

पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा श्रीमती विन्ता देवी पुत्री कांशी राम, निवासी गांव पिहडी, डाकघर गलोटी, तहसील खुण्डियां की जन्म तिथि 14-02-1972 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत पिहडी के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्री आकाश गुरंग पुत्र श्री प्रेम बहादुर, मूल निवासी नेपाल, हाल निवासी गांव सजला, डाकघर करंजा, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

नोटिस बनाम/आम जनता

श्री आकाश गुरंग पुत्र श्री प्रेम बहादुर, मूल निवासी नेपाल, हाल निवासी गांव सजला, डाकघर करंजा, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र मय शपथ पत्र गुजारा है कि उनके पुत्र आदित्य गुरंग का जन्म 16-07-2011 को हुआ है। परंतु ग्राम पंचायत करंजा के जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिसे अब वह दर्ज करवाना चाहते हैं। इस बाबत क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि आदित्य गुरंग पुत्र श्री आकाश गुरंग की जन्म तिथि 16-07-2011 है, तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को आदित्य गुरंग पुत्र श्री आकाश गुरंग की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 26-01-2026 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत करंजा के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 18-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्री आकाश गुरंग पुत्र श्री प्रेम बहादुर, मूल निवासी नेपाल, हाल निवासी गांव सजला, डाकघर करंजा तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रकाशन इशतहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

नोटिस बनाम/आम जनता

श्री आकाश गुरंग पुत्र श्री प्रेम बहादुर, मूल निवासी नेपाल, हाल निवासी गांव सजला, डाकघर करंजा, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र मय शपथ पत्र गुजारा है कि उनकी पुत्री अनुष्का गुरंग का जन्म 26-03-2018 को हुआ है। परंतु ग्राम पंचायत करंजा के जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिसे अब वह दर्ज करवाना चाहते हैं। इस बाबत क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि अनुष्का गुरंग पुत्री श्री आकाश गुरंग की जन्म तिथि 26-03-2018 है, तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को अनुष्का गुरंग पुत्री श्री आकाश गुरंग की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 26-01-2026 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत करंजा के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 18-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्री जगर नाथ पुत्र श्री बालक राम, निवासी गांव व डाकघर खखनाल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रकाशन इशतहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

नोटिस बनाम/आम जनता

श्री जगर नाथ पुत्र श्री बालक राम, निवासी गांव व डाकघर खखनाल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र मय शपथ पत्र गुजारा है कि उनका जन्म 29-12-1969 को हुआ है। परंतु ग्राम पंचायत गोजरा के जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिसे अब वह दर्ज करवाना चाहते हैं। इस बाबत क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि श्री जगत नाथ पुत्र श्री बालक राम की जन्म तिथि 29-12-1969 है, तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को श्री जगर नाथ पुत्र श्री बालक राम की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 26-01-2026 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत गोजरा के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 18-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्री कुन्ज लाल पुत्र श्री दुर्गा दत्त, निवासी गांव व डाकघर खखनाल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रकाशन इशतहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

नोटिस बनाम/आम जनता

श्री कुन्ज लाल पुत्र श्री दुर्गा दत्त, निवासी गांव व डाकघर खखनाल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र मय शपथ पत्र गुजारा है कि उनका जन्म 20-02-1968 को हुआ है। परंतु ग्राम पंचायत गोजरा के जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिसे अब वह दर्ज करवाना चाहते हैं। इस बाबत क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि श्री कुन्ज लाल पुत्र श्री दुर्गा दत्त की जन्म तिथि 20-02-1968 है, तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को श्री कुन्ज लाल पुत्र श्री दुर्गा दत्त की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 26-01-2026 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत गोजरा के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 18-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्री ज्योति प्रसाद पुत्र श्री विशन दास, निवासी गांव खोपनी, डाकघर खखनाल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रकाशन इश्तहार बाबत मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे।

नोटिस बनाम/आम जनता

श्री ज्योति प्रसाद पुत्र श्री विशन दास, निवासी गांव खोपनी, डाकघर खखनाल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र मय शपथ पत्र गुजारा है कि उनकी बुआ श्रीमती रिगजिन डोलमा पुत्री सोनम तन्दूप की मृत्यु 06-09-2019 को हुई है। परंतु ग्राम पंचायत गोजरा के जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिसे अब वह दर्ज करवाना चाहते हैं। इस बाबत क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि श्रीमती रिगजिन डोलमा पुत्री सोनम तन्दूप की मृत्यु तिथि 06-09-2019 है, तथा मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को श्रीमती रिगजिन डोलमा पुत्री सोनम तन्दूप की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 26-01-2026 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत गोजरा के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 18-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

शीर्षक :—

सुघरा बीबी पुत्री शेर मोहम्मद, निवासी गांव डिनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी,
हि0प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

प्रार्थना—पत्र ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

सुघरा बीबी पुत्री शेर मोहम्मद, निवासी गांव डिनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र मय शपथ-पत्र, District Registrar (Birth & Death)-cum-Chief Medical Officer Mandi द्वारा जारी पत्र व अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-07-1966 को गांव डिनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 में हुआ है, परन्तु ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज नहीं है। आवेदिका अपनी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 13-01-2026 को मुकर्र तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 12-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

In the Court of Executive Magistrate Joginder Nagar, Distt. Mandi, Himachal Pradesh

In the matter of :

Smt. Jagtamba Devi w/o Sh. Maan Singh, Village Chanjra, P.O. Ahju, Tehsil Joginder Nagar, Distt. Mandi, Himachal Pradesh . . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Application of Smt. Jagtamba Devi for correction of name in Aadhar Card.

Whereas, an application has been received from Smt. Jagtamba Devi w/o Sh. Maan Singh, Village Chanjra, P.O. Ahju, Tehsil Joginder Nagar, Distt. Mandi, Himachal Pradesh, seeking correction of her name in the Aadhar Card. And whereas, as per the records *i.e.* Pariwar Register Nakal, School Certificate and Bonafied Certificate the correct name of the applicant is as under :—

1. **Name:** Correct Name is Jagtamba Devi (जगतम्बा देवी) w/o Sh. Maan Singh.
2. **But in the Aadhar Card,** the applicant's particulars have been incorrectly recorded as follows:—

Name: **Jagatambo Devi** (जगतम्बो देवी)

Now, therefore, through this notice/ishtihar, the general public is hereby informed and given as opportunity that if anyone has any objection(s) to the proposed correction of the applicant's name as Jagtamba Devi, he/she may appear in person or file objection before this court on 23-01-2026. In

case no objection is received or no one appears on said date, then the matter shall be proceeded *ex-parte* and decided in accordance with law.

This notice is issued today the 15th day of December, 2025 from this court.

Seal.

Sd/-
RAJAT SETHI,
Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Joginder Nagar, District Mandi (H.P.).

ब अदालत श्री अनिल शर्मा तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ननखरी,
जिला शिमला (हि0प्र0)

हरवंश सिंह पुत्र श्री गोवर्धन सिंह, निवासी गांव शलोग, डाकघर देलठ, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे।

हरवंश सिंह पुत्र श्री गोवर्धन सिंह, निवासी गांव शलोग, डाकघर देलठ, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0प्र0 ने प्रार्थना—पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी माता श्रीमति सावित्री देवी पत्नी गोवर्धन सिंह, निवासी गांव शलोग, डाकघर देलठ, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0प्र0 की मृत्यु दिनांक 22-07-1995 को हुई थी। इस संबंध में प्रार्थी ने अपना शपथ—पत्र भी संलग्न किया है, परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थी व उसके परिवार के किसी सदस्य ने निश्चित अवधि में सावित्री देवी पत्नी गोवर्धन सिंह का मृत्यु पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत देलठ के अभिलेख में दर्ज नहीं करवाया है। अब प्रार्थी ग्राम पंचायत देलठ के जन्म व मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में पंजीकरण दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अपना ब्यान हल्फिया (स्वयं सत्यापित) परिवार नकल व सचिव द्वारा अप्राप्यता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि उसकी माता का मृत्यु पंजीकरण सम्बन्धित ग्राम पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण का सम्बन्धित ग्राम पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 22-01-2026 को सुबह 10:00 बजे असातन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज पेश करे अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में ग्राम पंचायत देलठ को मृत्यु पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 22-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
(अनिल शर्मा),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ननखरी, जिला शिमला (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री अनिल शर्मा तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ननखरी,
जिला शिमला (हि0प्र0)**

श्रीमती कागी देवी पुत्री श्री फिना दास, निवासी गांव दनेवटी, डाकघर दनावली, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

Application for correction of Spelling of Name, Father Name and Date of Birth in PAN Card.

श्रीमती कागी देवी पुत्री श्री फिना दास, निवासी गांव दनेवटी, डाकघर दनावली, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0प्र0 ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसका नाम पैन कार्ड में कमला देवी, पिता का नाम फेनी कमला देवी व जन्म तिथि 01-08-1960 गलत दर्ज है जबकि प्रार्थिया का नाम कागी देवी व जन्म तिथि 01-07-1950, पिता का नाम फिना दास सही व दुरुस्त है। इस सन्दर्भ में प्रार्थी ने अपना शपथ-पत्र, अपना ब्यान हल्फिया (स्वयं सत्यापित), आधार कार्ड व विज्ञापन समाचार पत्र इंडिया & वर्ल्ड, Times Interact में प्रकाशित करके अनुरोध किया है कि उसका नाम कागी देवी व जन्म तिथि 01-07-1950, पिता का नाम फिना दास सही व दुरुस्त करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम कागी देवी व जन्म तिथि 01-07-1950, पिता का नाम फिना दास दुरुस्त करने बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 21-01-2026 को सुबह 10:00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज पेश करे अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में पैन कार्ड दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 22-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
(अनिल शर्मा),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ननखरी, जिला शिमला (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री सत पाल राणा, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील जांगला,
जिला शिमला (हि0प्र0)**

बनाम

आम जनता

इस न्यायालय में श्रीमती शामी देवी आदि ने प्रार्थना पत्र दायर किया है जिसमें आग्रह किया है कि वह भूमि खाता खतौनी नं0 188 मिन/346 खसरा नं0 258, 333, 338, 350, 364, कित्ता 5 कुल रकबा तादादी 00-46-21 हैं0 मौजा ईलाकायणी में मुश्तरका तौर पर भूमि की मालिक है जिससे वह अपने पूर्वजों के समय से काश्त करते चले आ रहे हैं परन्तु जमाबन्दी के कॉलम नं0 04 में आन दास नाम का व्यक्ति रहीन लगा हुआ है जो गलत है। मौजा ईलाकायाणी में इस नाम का कोई भी व्यक्ति उनके पूर्वजों से लेकर आज तक

नहीं पाया गया है और न ही उनकी बलदीयत के बारे में किसी को पता है। श्रीमती शामी देवी ने आग्रह किया है कि जो इंद्राज कॉलम नं० 04 में दर्ज हुआ है वह गलत है उसे हटाया जावे।

अतः आम जनता को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को एतराज/आपत्ति हो तो वह अपना एतराज 29-12-2025 तक या इससे पहले इस न्यायालय में पेश कर सकता है। एतराज/आपत्ति प्रस्तुत न होने की सूरत में राजस्व कागजात माल में रहीन के स्थान पर फक उल रहीन की प्रविष्टि दर्ज कर दी जावेगी।

आज दिनांक 03-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
(सत पाल राणा),
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
जांगला, जिला शिमला, हि०प्र०।

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Dodra Kwar, District Shimla,
Himachal Pradesh**

In the matter of:

Smt. Kalpana Devi w/o Shri Banka Ram, r/o V.P.O. Dodra, Tehsil Dodra Kwar, District Shimla (H.P.)
... *Applicant.*

Versus

General Public

Subject.— Proclamation Regarding Correction of Name.

Whereas, the above named applicant Smt. Kalpana Devi have made an application before me regarding corection of her name as Kalpana Devi in place of Kalpana as per "Aadhar" card and other erlevant documents in the record of Gram Panchayat Dodra, Tehsil Dodra Kwar, District Shimla (H.P.).

Now, therefore objections are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding to proposed correction of applicat name as Kalpana Devi in place of Kalpana, they should appear before the undersigned on or before 19-01-2026 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard and name will be entered accordingly.

Issued today on 19th day of the December, 2025 under my hand and seal of the Court.

Seal.

Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Dodra Kwar, District Shimla (H.P.)

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : /2025

श्री सितार अली पुत्र सगीर अहमद, निवासी टोकानगला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री सितार अली पुत्र सगीर अहमद, निवासी टोकानगला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र संख्या एचएफडब्ल्यू—एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2025—11962, दिनांक 17—12—2025 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो ग्वाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 03—03—1961 है, अज्ञानतावश प्रार्थी की स्वयं की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत कुन्डियों के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18—01—2026 को प्रातः 11:00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में सितार अली पुत्र सगीर अहमद, निवासी टोकानगला की जन्मतिथि 03—03—1961, निवासी टोकानगला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक _____ को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : /2025

श्री जसपाल सिंह विर्क पुत्र वरयाम सिंह विर्क, निवासी हाउस नं0 133ए/1, वार्ड नं0 06, नियर ऑलड आईस फैक्टरी, कैनाल रोड, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री जसपाल सिंह विर्क पुत्र वरयाम सिंह विर्क, निवासी हाउस नं० 133ए/1, वार्ड नं० 06, नियर ऑलड आईस फैक्टरी, कैनाल रोड, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि०प्र०) का आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र संख्या एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2025-10712, दिनांक 21-11-2025 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री जिसका नाम रजनी विर्क पुत्री जसपाल सिंह विर्क है, की जन्म तिथि 17-11-1989 है, अज्ञानतावश, प्रार्थी की पुत्री की जन्मतिथि का इन्द्राज नगरपालिका परिषद पांवटा साहिब के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माफत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-01-2026 को प्रातः 11:00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में रजनी विर्क पुत्री जसपाल सिंह विर्क, निवासी हाउस नं० 133ए/1, वार्ड नं० 06, नियर ऑलड आईस फैक्टरी, कैनाल रोड, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि०प्र०) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक _____ को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब,
जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नारग, जिला सिरमौर (हि०प्र०)

दावा सं० : 18/13 B ऑफ 2025

तारीख मजरुआ : 08-07-2025

श्रीमती रमिल वर्मा पुत्री श्री लच्छमी सिंह पुत्र स्व० नन्द लाल, निवासी सरोल, डा०, वासनी उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि०प्र०) हाल पत्नी मोहिन्दर पाल, निवासी शरेन वाला गेट, बगीची हेत राम, पटियाला, पंजाब।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हि० प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1953.

श्रीमती रमिल वर्मा पुत्री श्री लच्छमी सिंह पुत्र स्व० नन्द लाल, निवासी सरोल, डा०, वासनी उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि०प्र०) हाल पत्नी मोहिन्दर पाल, निवासी शरेन वाला गेट, बगीची हेत राम, पटियाला, पंजाब ने इस अदालत में धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत अपने नाम रमिल की दुरुस्ती करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी का नाम रमिल वर्मा है, परन्तु राजस्व अभिलेख मौजा उप-सम्पदा सरोल, उप-तहसील नारग में गुडडी देवी दर्ज है, अब प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख मौजा उप-सम्पदा सरोल, उप-तहसील नारग में दुरुस्त करवा कर गुडडी देवी के स्थान पर रमिल वर्मा दर्ज करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मौजा उपसम्पदा सरोल में गुडडी के स्थान पर रमिल वर्मा दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 19-01-2026 को प्रातः 10.00

बजे तक अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 11-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

समक्ष श्री जय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 16 / 13(3) of 2025

तीरीख मजरूआ : 15-11-2025

तारीख पेशी : 08-01-2026

प्रार्थी श्री प्रेम दत्त पुत्र श्री थोनू राम, निवासी जरग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरखास्त बरुये जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 जेरे धारा 13(3)।

प्रार्थी/वादी श्री प्रेम दत्त पुत्र श्री थोनू राम, निवासी जरग, तहसील ददाहू ने अदालत हजा में एक दरखास्त गुजार कर दावा किया है कि प्रार्थी अपना नाम व जन्म ग्राम पंचायत जरग में दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी का जन्म मिति 01-07-1964 को ग्राम पंचायत जरग में हुआ था, लेकिन वह किसी कारण आज तक अपना जन्म ग्राम पंचायत जरग में दर्ज न करवा सका, जिसे नियमानुसार दर्ज किया जाना उचित व आवश्यक है।

जन्म दर्ज के मौजूदा मामले में प्रार्थी के उपरोक्त दावों के संदर्भ में प्रार्थी के सभी सगे-सम्बन्धियों एवं आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त मामले में किसी भी प्रकार की आपत्ति व एतराज दर्ज करने बारे दिनांक 08-01-2026 को कार्यकारी दण्डाधिकारी के समक्ष असालतन या वकालतन पेश होवें अन्यथा मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 10-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(जय सिंह ठाकुर)
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, माजरा, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 802517/2025

दिनांक : 18-12-2025

Dharampal

Vs.

General Public

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री धर्मपाल पुत्र श्रीमती रामकली पत्नी रौनकी राम, निवासी ग्राम व डाकघर धौलाकुआं, उप-तहसील माजरा, जिला सिरमौर, (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में Case No. 802517/2025 (Case titled as Dharampal Vs.—General Public) मौजा धौलाकुआं के राजस्व रिकॉर्ड में जाति दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। मौजा धौलाकुआं में श्री धर्मपाल पुत्र श्रीमती रामकली पत्नी रौनकी राम का राजस्व कागजात में जाति का कोई विवरण नहीं है तथा शजरा नस्ब में उपजाति अन्य दर्ज है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में अपनी जाति रामदासिया उपजाति अन्य दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त दुरुस्ती से कोई एतराज हो तो वह दिनांक 19-01-2026 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में हाजिर आकर अपनी लिखित आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं।

आज दिनांक 18-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
माजरा, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una,
Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Sh. Abhishek Jearth age 26 years s/o Sh. Jyoti Parkash, r/o Village & P.O. Chhaproh Kalan, Tehsil Bangana, District Una (H.P.).

2. Sonia Rani age 28 years d/o Sh. Rajinder Kumar, r/o Village & P.O. Kalewal Beet, Tehsil Garshankar, District Hoshiarpur (Pb.).
.. Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.).

Sh. Abhishek Jearth age 26 years s/o Sh. Jyoti Parkash, r/o Village & P.O. Chhaproh Kalan, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and Sonia Rani age 28 years d/o Sh. Rajinder Kumar,

r/o Village & P.O. Kalewal Beet, Tehsil Garshankar, District Hoshiarpur (Pb.) at present wife of Sh. Abhishek Jearth s/o Sh. Jyoti Parkash, r/o Village & P.O. Chhaproh Kalan, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 03-08-2020 at Village & P.O. Chhaproh Kalan, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under section 15 of the Special Marriage Act, 1954. Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 24-01-2026, after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 17th December, 2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Bangana, District Una, Himachal Pradesh.*

CORRECTION OF NAME

I, Barfi Ram s/o Sh. Mehatu Ram, Village & P.O. Badgram, Tehsil Bharmour, Distt. Chamba (H.P.) declare that in Aadhaar Card of my minor son, having No. 9126 3126 1776, his name is wrongly entered as Anku, whereas his correct name is Pankaj Kumar. All concerned please note.

BARFI RAM
s/o Sh. Mehatu Ram,
Village & P.O. Badgram,
Tehsil Bharmour, Distt. Chamba (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Virender Kumar s/o Amar Singh, r/o Village Rangri, P.O. Chhiyal, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.) declare that I have changed my son's name from Hiteshwar Kapoor to Hitesh Kapoor for all future purposes. Concerned note it.

VIRENDER KUMAR
s/o Amar Singh,
r/o Village Rangri, P.O. Chhiyal,
Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Tilak Raj s/o Sh. Buta Ram, r/o Village & P.O. Badgram, Tehsil Bharmour, Distt. Chamba (H.P.) declare that in Aadhaar Card of my minor son, having No. 2943 2754 7451, his name is wrongly entered as Khanya Lal. Whereas his correct name is Kanhaeya Lal. All concerned please note.

TILAK RAJ
s/o Sh. Buta Ram,
Village & P.O. Badgram,
Tehsil Bharmour, Distt. Chamba (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Biasa Devi w/o Sh. Rajmal, r/o VPO Lamu, Tehsil Holi, Distt. Chamba (H.P.) declare that I have changed my name from Biasho to Biasa Devi for all purposes in future. Please note.

BIASA DEVI
w/o Sh. Rajmal,
r/o VPO Lamu,
Tehsil Holi, Distt. Chamba (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Champo w/o Sh. Desh Raj, r/o Village Saraina, Post Office Rakh, Tehsil & District Chamba (H.P.) declare that in my Aadhaar Card bearing number 8807 2932 2889, my name is wrongly entered as Champa Devi, which is incorrect. Whereas my correct name is Champo. I shall be known as Champo for all purposes in future. Please note.

CHAMPO
w/o Sh. Desh Raj,
r/o Village Saraina, Post Office Rakh,
Tehsil & District Chamba (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Roshana Devi w/o Late Sher Singh, r/o Village Kanshan, P.O. Kamand, Tehsil Aani, Distt. Kullu (H.P.) declare that my name is Roshana Devi in all government documents, whereas it has been wrongly recorded as Roshani Devi in my Aadhaar Card. This may please be corrected to Roshana Devi. Concerned please note.

ROSHANA DEVI
w/o Late Sher Singh,
r/o Village Kanshan, P.O. Kamand,
Tehsil Aani, Distt. Kullu (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Vidya Devi w/o Sh. Hari Chand, r/o Vill. Patnaun, P.O. Patnaun, Teh. Bamson at Tauni Devi, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Vidhya Devi to Vidya Devi for all purposes in future. All concerned please note.

VIDYA DEVI
w/o Sh. Hari Chand,
r/o Vill. Patnaun, P.O. Patnaun,
Teh. Bamson at Tauni Devi, Distt. Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kumari Renu w/o Sh. Padam Dev, r/o Vill. Naraingerh, P.O. Tanerh, Teh. Dharampur, Distt. Mandi (H.P.) declare that I have changed my name from Reenu Kumari to Kumari Renu for all purposes in future. All concerned please note.

KUMARI RENU
w/o Sh. Padam Dev,
r/o Vill. Naraingerh, P.O. Tanerh,
Teh. Dharampur, Distt. Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Punam Kumari w/o Shri Babu Ram, r/o Vill. Jheel Bankabara, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmaur (H.P.) have changed the name of my son from Vebhaw to Vaibhav. All concerned please note.

PUNAM KUMARI
w/o Shri Babu Ram,
r/o Vill. Jheel Bankabara,
Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmaur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Rajesh Rekta s/o Sh. Bhag Singh, r/o Village Dali, P.O. Masli, Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla (H.P.) declare that name of my daughter Ojasvi Rajesh Rekta is wrongly mentioned as Gudia in her Aadhar Card No. 7005-5160-9106. Therefore it should be changed to Ojasvi Rajesh Rekta in her Aadhar Card. Note the relevant information.

RAJESH REKTA
s/o Sh. Bhag Singh,
r/o Village Dali, P.O. Masli,
Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Banita w/o Late Sh. Rajesh Kumar, r/o Village Houchali, P.O. Gaonsari, Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla (H.P.) declare that name of my son Tanishq is wrongly mentioned as baby One of Banita in his Aadhar Card No. 3334-2143-4787. Therefore it should be changed to Tanishq in his Aadhar Card. Note the relevant information.

BANITA
w/o Late Sh. Rajesh Kumar,
r/o Village Houchali, P.O. Gaonsari,
Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Rama Devi w/o Daglas Samual Deen, r/o Village Kasauli (Kumahari), P.O. Garkhal, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name is wrongly entered as Ram Dei. Correct it with my all previous record my name as Rama Devi in Aadhar Card. Note all concerned.

RAMA DEVI
w/o Daglas Samual Deen,
r/o Village Kasauli (Kumahari), P.O. Garkhal,
Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Ajit Kumar s/o Sh. Rikhi Ram, r/o V.P.O. Chachian, Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.) declare that in Aadhar Card my name Jeet Kumar is wrongly entered. Correct name is Ajit Kumar. All note it.

AJIT KUMAR
s/o Sh. Rikhi Ram,
r/o V.P.O. Chachian, Tehsil Palampur,
Distt. Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Meena w/o Gaurav Singh, r/o V.P.O. Pujarli No. 4, Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.) declare that name of my daughter Avni Paudel is wrongly mentioned as Geeta Paudel in her Aadhar Card No. 8174-2906-9371. Therefore it should be changed to Avni Paudel in her Aadhar Card. Note the relevant information.

MEENA
w/o Gaurav Singh,
r/o V.P.O. Pujarli No. 4,
Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Taniya Thakur d/o Ridhi Singh, r/o Ropa Seri, P.O. Piplage, Tehsil Bhunter, Distt. Kullu (H.P.) declare that I have changed my name from Tanya to Taniya Thakur for all future purposes. Concerned note it.

TANIYA THAKUR
d/o Ridhi Singh,
r/o Ropa Seri, P.O. Piplage,
Tehsil Bhunter, Distt. Kullu (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Shyam Lal s/o Sh. Chet Ram, r/o Village Hawai, P.O. Shiah, Tehsil Bhunter, Distt. Kullu (H.P.)-175141 declare that I have changed my name from "Dhyan Singh" to "Shyam Lal". In future I must be known as "Shyam Lal". Concerned note it.

SHYAM LAL
s/o Sh. Chet Ram,
r/o Village Hawai, P.O. Shiah,
Tehsil Bhunter, Distt. Kullu (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Suma Devi w/o Sh. Amar Singh, r/o Village Sainj, Tehsil Renuka, Distt. Sirmaur (H.P.)-173023 declare that I have changed my name from Sumitra Devi to Suma Devi for all purposes in future. Please note.

SUMA DEVI
w/o Sh. Amar Singh,
r/o Village Sainj, Tehsil Renuka,
Distt. Sirmaur (H.P.).